सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

www.स्टैंडअपमित्र.भारत

www.sidbi.in

स्टैंड अप इंडिया

करें प्रयास पायें विकास

स्टैंड अप इंडिया योजना
दिशानिर्देश

www.स्टैंडअपमित्र.भारत

यदि मुझे किसी कार्य को संपन्न करने का विश्वास है,
तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं शक्ति अर्जित करूँगा,
भले ही आरंभ में यह शक्ति मुझमें विद्यमान न रही हो।

– महात्मा गांधी

वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
www.financialservices.gov.in • www.mygov.nic.in

भारतीय बैंक संघ

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

प्रशिक्षणार्थी उधारकर्ता

5.1 यदि उदारकर्ता सहायता की आवश्यकता का उल्लेख करता है तो, पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थी उधारकर्ता के रूप में पंजीकरण उधारकर्ता को संबंधित जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक और सिडबी / नाबार्ड के संबंधित कार्यालय के साथ जुड़ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को, स्वयं उधारकर्ता द्वारा अपने घर से या सीएससी पर या मुद्रा कार्य से जुड़े अधिकारी द्वारा बैंक शाखा के माध्यम से, जैसा कि पैरा 2 में बताया गया है, पूरा किया जा सकता है।

5.2 अनंतर, स्टैंड अप इंडिया कनेक्ट सेंटर के रूप में सिडबी (80 कार्यालय) और नाबार्ड (419 कार्यालय), निम्नलिखित में से किसी के लिए भी अनुरोध के संबंध में ऐसे प्रशिक्षणार्थी उधारकर्ताओं के लिए सहायता की व्यवस्था करेंगे :

a. वित्तीय प्रशिश्क्षण हेतु वित्तीय साक्षरता केंद्रें पर
b. कौशल हेतु कौशल केंद्रों पर (व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र/अन्य केंद्र)
c. ईडीपी हेतु एमएसएमई वित्तीय संस्थानों/जिला उद्योग केंद्रों/ ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों पर
d. कार्य–स्थल हेतु डीआईसी
e. मार्जिन राशि के लिए – मार्जिन राशि सहायता योजनाओं से संबंधित कार्यालय यथा – राज्य अनुसूचित जाति वित्तीय निगम, महिला विकास निगम, राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, एमएसएमई वित्तीय संस्थान आदि।
f. सुस्थापित उद्यमियों से प्रतिपालक सहयोग के लिए डीआईसीसीआई, महिला उद्यमी संघ, व्यापारिक निकाय। सहायता प्रदान करने के लिए सुस्थापित गैर सरकारी संस्थाओं का भी सदुपयोग किया जा सकता है।
g. उपयोज्यता संयोजन हेतु उपयोज्यता सेवाएँ प्रदान करने वाले कार्यालय
h. डीपीआर हेतु सिडबी /नाबार्ड /डीआईसी के पास उपलब्ध परियोजना रूपरेखा

किसी भी समय, यहाँ तक कि ऋण की मंजूरी के पश्चात् भी, कोई भी उधारकर्ता स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है।

अग्रणी जिला प्रबंधक इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और समस्याओं के निदान एवं अवरोधों को सुगम बनाने के लिए सिडबी और नाबार्ड के स्थानीय कार्यालयों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। प्रत्येक मामले में हुई प्रगति और प्रथम द्रष्टया विकासक्षम संभावनाओं के आधार पर, अग्रणी जिला प्रबंधक उदीयमान मामलों के संबंध में संबंधित बैंक की शाखा को संवेदनशील बनाएंगे। इस कार्य की समाप्ति के उपरांत, सिडबी / नाबार्ड आगे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये संगठन अन्य हितधारक संगठनों जैसे दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ़ कामर्स ऐंड इंडस्ट्री, महिला उद्यमी संघ आदि के साथ के साथ भी कार्य करेंगे।

5.4 एक बार प्रारंभिक सहायता हेतु हाथ बढ़ाने की अग्रणी जिला प्रबंधक और प्रशिक्षु उधारकर्ता की अपेक्षा के अनुरूप प्रारंभिक सहायता मिल पाने के बाद ऋण आवेदन निकलेगा।

स्टैंड अप इन्डिया पोर्टल (www.स्टैंडअपमित्र.भारत)

6. स्टैंड अप इन्डिया पोर्टल एक इंटरैक्टिव पोर्टल है। यह उधारकर्ता को प्रारंभिक सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें शामिल है:
   - प्रशिक्षण : तकनीकी या / और वित्तीय
   - डीपीआर की तैयारी
   - मार्जिन राशि सहायता
   - शेड / कार्यस्थल की पहचान
   - कच्चा माल के स्रोत
   - बिल भुनाई
   - ई–कॉमर्स पंजीकरण
   - कराधान के लिए पंजीकरण
7. पोर्टल आवेदन फार्म प्राप्त करने, जानकारी एकत्र करने और प्रदान करने, पंजीकरण में सहायता करने प्रारंभिक सहायता के लिए लिंक प्रदान करने, ट्रैकिंग और निगरानी में सहायता के लिए अभिकल्पित है। अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर इसे ओर से छोर तक अंतिम समाधान के रूप में परिष्कृत किया जाएगा।
8. उधारकर्ताओं को तैयार करने हेतु एक पारिस्थितिकी प्रणाली बनाने का स्टैंड अप इंडिया योजना का भरसक प्रयास है। यह प्रणाली अब स्टैंड अप उधारकर्ताओं के समर्थन के लिए है लेकिन भविष्य में इसे अन्य योजनाओं तक भी बढ़ाया जाएगा।

ऋण की प्रकृति

9. ऋण सम्मिश्र ऋण होंगे अर्थात ये ऋण संयंत्र और मशीनरी तथा कार्यशील पूंजी की आस्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए जाएंगे। इसमें परियोजना लागत के 75% भाग को समाहित किया जाएगा और ब्याज दर बैंक द्वारा उस श्रेणी (रेटिंग) के लिए निर्धारित सबसे कम दर (आधार दर (एमसीएलआर) + 3 % + टेनर प्रीमियम) से अधिक नहीं हो। यह ऋण 18 महीने के अधिस्थगन अवधि के साथ अधिकतम 7 साल में प्रतिदेय होगी। कार्यशील पूंजी घटक के

संचालन को सक्षम बनाने के लिए एक रूपे कार्ड जारी किया जाएगा। (ऋण के अंतर्गत परियोजना लागत का 75% भाग को समाहित करने वाले उपबंध तब नहीं लागू होंगे यदि उधारकर्ता का अंशदान अन्य किसी योजना से प्राप्त सम्मिलित योगदान को मिलाकर परियोजना लागत के 25% भाग से अधिक हो जाता है।)

ऋण गारंटी / संपार्श्विक

10. स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत आवेदकों को संपार्श्विक प्रतिभूति से मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाते है। स्टैंडअप इंडिया ऋण गारंटी योजना नामक योजना अधिसूचित कर दी गई है और इसका परिचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी करेगी।

मार्जिन राशि

11. इस योजना में 25% मार्जिन राशि का प्रावधान है जोकि पात्र केन्द्रीय/ राज्य योजनाओं के रूपान्तरण से उपलब्ध कराया जा सकता है। प्राप्य अनुदान सहायता को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं अथवा मार्जिन राशि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे सभी मामलों में उधारकर्ताओं को परियोजना लागत का न्यूनतम 10% अपना अंशदान लाना अपेक्षित होता है। उदाहरण के तौर पर यदि राज्य योजना किसी उधारकर्ता को परियोजना लागत का 20% सब्सिडी के रूप में अनुदानित करती है तो उधारकर्ताओं से अपेक्षित होगा कि वे अपने योगदान के रूप में परियोजना लागत का न्यूनतम 10% की राशि लाएं। ऋण मूल्यांकन के समय इकाई द्वारा प्राप्त कोई भी ऐसी सब्सिडी जो पहले से ज्ञात नहीं है तथा वह प्राप्त हो जाती है तो उसे ऋण खाते में जमा कर लिया जाएगा। उन मामलों में जहां मूल्यांकन के दौरान सब्सिडी को समाहित किया गया है लेकिन कार्य शुरू होने के बाद वह सब्सिडी मिली हो तो उस राशि को मार्जिन मनी की व्यवस्था करने के लिए गए किसी ऋण को चुकौती के लिए उधारकर्ता को प्रदान कर दिया जाए। केन्द्रवार / राज्यवार सब्सिडी / इन्सेंटिव योजनाओं की एक सूची पोर्टल पर दे दी जाएगी। उपलब्ध होने पर नई योजनाओं को भी जोड़ा जा सकेगा।

जिला स्तरीय परामर्श समिति

12. जिलाधिकारी की अध्यक्षता और अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयोजकत्व में जिला स्तरीय परामर्श समिति (डीएलसीसी) दोनों प्रकार के उधारकर्ताओं के मामलों की आवधिक समीक्षा करेगी जिसकी कम से कम एक बैठक प्रत्येक तिमाही में हो। सिडबी और नाबार्ड के अधिकारी इन समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे।

ऋण संवितरण के बाद सहायता

13. कम से कम तिमाही में एक बार जिला स्तर पर जरूरत के मुताबिक नियमित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें हितधारकों को सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं, समीक्षा समस्या के बारे में निदान बताने के लिए शामिल किया जाएगा तथा संभावित उद्यमियों को दिशा–निर्देश दिए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में बिल डिस्काउन्टिंग सेवाएं ई–मार्केट स्थलों कराधान आदि के लिए पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तरीके भी बताए जाएंगे। सिडबी के सहयोग से नाबार्ड इन कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।

शिकायत निवारण

14. उधारकर्ता की शिकायतों के निवारण के लिए पोर्टल पर सुविधा दी गई है। पोर्टल पर शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने वाले प्रत्येक बैंक के अधिकारियों / एजेंसियों का संपर्क विवरण दिया गया है। शिकायतों के ऑनलाइन जमा करने और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई जानने के लिए पोर्टल विकसित की जाएगी। संबद्ध बैंक द्वारा ग्राहक को शिकायतों के निपटान पर प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना होगा।
15. स्टॉक जरूरतों निर्मित की गई आस्तियों के बीमा और समुचित प्रसंस्करण शुल्क जैसी जरूरतों को बैंक निर्धारित कर सकते हैं।

हितधारकों की जिम्मेदार

स्टैंड अप संपर्क केन्द्र (सिडबी/ नाबार्ड):

सिडबी :

- स्टैंड अप इन्डिया वेब पोर्टल का संचालन एवं रखरखाव करना।
- प्रशिक्षु उधारकर्ताओं के लिए प्रारंभिक सहायता उपलब्ध कराना।
- अग्रणी जिला प्रबन्धकों / एसएलबीसी के माध्यम से संभावित मामलों में जाँच करने के लिए बैंकों के साथ संपर्क करके मिलकर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- दिक्कतों को दूर करने के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धकों के साथ समन्वय करना।
- एसएलबीसी एवं डीएलसीसी को समीक्षा एवं निगरानी करने में सहायता करना।
- नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टैंड अप कार्यक्रमों में भाग लेना।

नाबार्ड :

- स्टैंड अप इन्डिया के लिए प्रशिक्षकों एलडीएमों बैंक अधिकारियों को प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षु उधारकर्ताओं के लिए प्रारंभिक सहायता हेतु व्यवस्था करना।
- एलडीएम के माध्यम से संभावित मामलों में बैंकों के साथ मिलकर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- दिक्कतों को दूर करने के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धकों के साथ समन्वय करना।

- एसएलबीसी एवं डीएलसीसी को समीक्षा एवं निगरानी करने में सहायता प्रदान करना।
- कम से कम तिमाही में एक बार जिला स्तर पर जरूरत के मुताबिक

नियमित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित करना जिसमें हितधारकों के बीच अनुभवों को साझा किया जाए।

अग्रणी जिला प्रबंधकगण :

- मामलों की प्रगति की निगरानी करना।
- गत्यावरोधों को दूर करने के लिए सिडबी / नाबार्ड के संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना।
- संभावी उधारकर्ताओं के बारे में बैंकरों का सुग्राहीकरण करना।
- संबंधित बैंकों के क्षेत्रीय/ अंचल कार्यालय से अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कराना ताकि वे निश्चित समय-सीमा के भीतर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण मंजूर करने के अपने प्रतिबद्धता कोड को पूरा कर सकें।
- जहाँ तक संभव हो सके उधारकर्ताओं को आवश्यकता के अनुरूप प्रारम्भिक सहायता की प्राप्ति को सुनिश्चित करना।
- विहित अवधि में डीएलसीसी की बैठक आहूत करना।
- नाबार्ड द्वारा आयोजित हितधारकों की तिमाही बैठक में प्रतिभागिता करना।

जिला स्तरीय ऋण समिति :

- निश्चित अवधि में जिला स्तरीय ऋण समिति में प्रगति की समीक्षा करना।
- जिला स्तर पर शिकायत निवारण करना।
- संभावी उधारकर्ताओं के कार्य स्थान और उनके सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में यदि कोई समस्या है तो उसका निराकरण करना।

बैंक शाखाएं :

- संभावी उधारकर्ताओं की पोर्टल तक पहुँच बनाने के लिए सहायता देना ।
- ऑनलाइन अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त ऋण आवेदनों का संसाधन करना।
- लघु एवं मध्यम उद्यमों के उधारकर्ताओं के लिए बैंक के प्रतिबद्धता कोड में विहित समय सीमा में (₹ 5 लाख तक के ऋण आवेदनों के लिए 2 सप्ताह, ₹ 5 लाख से 25 लाख तक के लिए 3 सप्ताह और ₹ 25 लाख से ऊपर के लिए 6 सप्ताह, बशर्ते आवेदन पूरी तरह से भरा गया हो और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कराया गया हो) ऋण आवेदनों का संसाधन किया जाना।
- ऋण आवेदनों के निरस्तीकरण की स्थिति में उधारकर्ताओं को ग्राहकों के लिए बने बैंक के प्रतिबद्धता कोड के अनुसार सूचित करना ।
- ग्राहकों के लिए बने बैंक के प्रतिबद्धता कोड के अनुसार बैंक के सातर पर शिकायत निवारण का निपटान बैंक स्तर पर 15 दिन के भीतर पूरा करना।
- बैंक योजना के प्रदर्शन की निगरानी के लिए आंतरिक प्रणाली दुरूस्त रखे।

उधारकर्तागण :

- पोर्टल तक पहुंच या शाखा जाना तथा एक छोटी प्रश्नावली का जवाब देना।
- यदि प्रशिक्षु उधारकर्ता की श्रेणी में आते हैं तो जैसा लागू हो वैसा प्रारंभिक सहायता के क्रमबद्ध प्रक्रिया से गुजरें।
- बैंक की शाखा द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था/ प्रबन्ध करना।
- अनुभव आदान-प्रदान करने सर्वोत्तम कार्य-प्रणाली समस्या निदान

आदि पर आयोजित तिमाही बैठक में प्रतिभागिता करना।

- सावधानीपूर्वक इकाई की स्थापना करना एवं उसे चलाना।
- देय तिथियों पर पुनर्भुगतान करना।

स्टैंडअप इंडिया योजना दिशानिर्देश

प्रस्तावना

1. स्टैंडअप इंडिया योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई (ग्रीनफ़ील्ड) परियोजना की स्थापना के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। गैर-व्यक्ति उद्यम के मामले में, 51% शेयरधारिता या नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

अंतराल

2. स्टैंडअप इंडिया योजना अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों द्वारा नए उद्यमों की स्थापना, ऋण प्राप्ति और व्यवसायिक सफलता हेतु समय-समय पर अन्य आवश्यक समर्थन के क्रम में सम्मुख आने वाली चुनौतियों की पहचान पर केंद्रित है। अतः, यह योजना एक ऐसे परितंत्र के सृजन का प्रयास है, जिससे व्यवसायिक कार्यकलाप सुगम होता है और अनुकूल पर्यावरण को बल मिलता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सभी शाखाओं को सम्मिलित करने वाली इस योजना की पहुँच तीन संभाव्य तरीकों से होगी।
   - O प्रत्यक्ष रूप से शाखा में
   - O सिडबी के स्टैंडअप इंडिया पोर्टल के माध्यम से या
   - O अग्रणी जिला प्रबंधक के माध्यम से
3. यह पोर्टल उधारकर्ता के मानदंडों /मात्रिक मानकों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतराफलक पटल होगा (निम्नलिखित सूचीबद्ध लगभग 8-10 प्रश्नों के समुच्चय के माध्यम से प्राप्त) और इससे ऐसे उधारकर्ताओं को सूचना एवं प्रतिसूचना प्रदान की जाएगी। एक संभाव्य उधारकर्ता को तत्काल संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण करने या केवल अवलोकन करने और बाद में पंजीकरण करने का विकल्प उपलब्ध होगा। इस पोर्टल तक घर से, सामान्य सेवा केंद्रों से, बैंक की शाखा के माध्यम से (शाखा में मुद्रा हेतु संपर्क अधिकारी के माध्यम से) या अग्रणी जिला प्रबंधक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। जिन शाखाओं में इंटरनेट की पहुँच प्रतिबंधित है, वहाँ शाखाएँ संभाव्य उधारकर्ता को, स्टैंडअप इंडिया पोर्टल का संबंधित शाखा के कोर बैंकिंग समाधान से समाकलन होने तक, मार्गदर्न प्रदान करेंगी।
4. सहारा देने के लिए स्टैंडअप इंडिया पोर्टल का आग्रह आरंभ में कतिपय प्रासंगिक प्रश्नों के समुच्चय का उत्तर प्राप्त करने पर केंद्रित होगा। ऐसे विशिष्ट प्रश्न निम्नानुसार होंगे :
   1) उधारकर्ता की अवस्थिति
   2) श्रेणी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /महिला
   3) नियोजित व्यवसाय का स्वरूप
   4) व्यवसायिक परिचालन के लिए स्थान की उपलब्धता
   5) परियोजना संबंधी योजना को तैयार करने के लिए सहायता की आवश्यकता
   6) कौशल /प्रशिक्षण (तकनीकी एवं वित्तीय)
   7) मौजूदा बैंक खाता संबंधी विवरण

   8) परियोजना में स्वयं के निवेश की धनराशि
   9) मार्जिन राशि के लिए क्या सहायता आवश्यक है
   10) व्यवसाय संबंधी पूर्ववर्ती अनुभव

   प्रतिक्रियाओं के आधार पर पोर्टल प्रासंगिक प्रतिसूचना प्रदान करता है और पोर्टल का अवलोकन करने वालों को तैयार उधारकर्ता या प्रशिक्षणार्थी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकरण को सुगम बनाता है।

तैयार उधारकर्ता

5. उधारकर्ता को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में, पोर्टल पर तैयार उधारकर्ता के रूप में चुनिंदा बैंक के साथ ऋण हेतु आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस चरण में आवेदन का क्रमांक व्युत्पन्न होता है और संबंधित बैंक, अग्रणी जिला प्रबंधक (प्रत्येक जिले में पदस्थ) तथा नाबार्ड / सिडबी के संबंधित जुड़े हुए कार्यालय के साथ उधारकर्ता के संबंध में सूचना साझी की जाती है। सिडबी /नाबार्ड के कार्यालय स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के लिए प्राधिकृत होंगे। ऋण आवेदन अब व्युत्पन्न किए जाएंगे और पोर्टल के माध्यम से इनके बारे में पता लगाया जाएगा।